जलांश

खंड 5 अंक 8 मार्च 2023

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

फरवरी 2023 माह के दौरान, जल संसाधन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास हुए। मैं निम्नलिखित पर प्रकाश डाल रहा हूँ:

i) आईसीईडी के विकास के लिए आईआईटी रूड़की के साथ समझौता ज्ञापन
ii) शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के बीच बाढ़ के पहलुओं पर कार्यशाला
iii) विशाखापत्तनम में 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं आईईसी बैठक के आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (आईटीएसी) की बैठक।

केंद्रीय जल आयोग ने बाह्य रूप से वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II और चरण III के तहत अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के विकास के लिए आईआईटी, रूड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख से दस साल तक या डीआरआईपी चरण- II और चरण- III योजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। आईसीईडी जांच, मॉडलिंग अनुसंधान और नवीनीकरण तथा भारतीय और विदेशी बांध मालिकों को विशेष तकनीकी सहायता सेवाएँ प्रदान करने में सहयोग के लिए केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.), जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। केंद्र, प्रारंभिक वर्षों में, दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: (ए) जलाशय अवसादन और (बी) भूकंपीय खतरा मानचित्रण और विश्लेषण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) केंद्र में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राज्यों और स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान,किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है के बीच बाढ़ पर एक संरचित कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैंने और श्री कुणाल सत्यार्थी, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एससीओ का मुख्य लक्ष्य आपसी विश्वास को मजबूत करना, सदस्य देशों के बीच अच्छे-पड़ोसी संबंध; राजनीति, व्यापार व अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 2022-23 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हमने इस संबंध में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया। इस सत्र से विभिन्न सीख सामने आईं।

के.ज.आ. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी) 01-8 नवंबर 2023 के दौरान विशाखापत्तनम (विजाग), आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, के.ज.आ. और आईसीआईडी के साथ साझेदारी में 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) की 74वीं आईईसी बैठक का आयोजन कर रही है जिसका विषय है- "कृषि में पानी की कमी से निपटना"। आईसीआईडी ने 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के विषयगत, तकनीकी और संगठनात्मक मुद्दों की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (आईटीएसी) का गठन किया है। आईटीएसी की पहली बैठक 07.02.2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। आईएनसीआईडी का अध्यक्ष और आईसीआईडी उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने,स्वयं युवा पेशेवर प्रतिभागियों को आयोजन में भाग लेने का समर्थन किया और बताया कि आईएनसीआईडी कुछ युवा पेशेवरों का समर्थन करने पर विचार कर सकता है। के.ज.आ. इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल है। मेरा मानना है कि सम्मेलन के.ज.आ. को अंतर्राष्ट्रीय मंच के समक्ष अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और साथ ही कई चीजें सीखने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा जो इसकी क्षमता को और बढ़ाने में मदद करेगा। के.ज.आ. द्वारा कई नई पहल की जा रही हैं, जिसका परिणाम मैं जलांश के आगे के संस्करण में आपके साथ साझा करूंगा।

विषयसूची

- राजस्थान को नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से कम पानी मिलने के मुद्दे पर बैठक
- डब्ल्यूएआरआईएमएस पोर्टल के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति और मुद्दे
- राजस्थान राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं/मुद्दों की समीक्षा के लिए बैठकें
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अधिकारियों के साथ बैठक
- भारतीय जल संसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक,
- 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (आईटीएसी) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी बैठक
- सीबीआईपी पुरस्कार-2022 के लिए आवेदन का मूल्यांकन करना
- बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक
- बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के विकास के लिए आईआईटी रूड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- जल निकायों में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए लीज शुल्क की नीति के संबंध में हितधारकों के परामर्श के लिए बैठक
- ओखला तक यमुना जल में यूपी की पूर्ववर्ती हिस्सेदारी के वास्तविक आवंटन के मुद्दे पर समिति की पहली बैठक
- द्वितीय रावी ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर की प्रगति पर चर्चा
- पोलावरमसिंचाई परियोजना के डिज़ाइन पहलुओं की समीक्षा के लिए 25वीं बैठक
- डब्ल्यूआरडी-09 की 21वीं बैठक
- सीडीआरसी की 56वीं बैठक
- विश्व बैंक द्वारा डीआरआईपी-2 कार्यान्वयन रणनीति कार्यशाला
- एससीओ सदस्य राज्यों के लिए बाढ़ पर ज्ञान साझा करने हेतु संरचित कार्यशाला
- बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग/ एप्लीकेशन(धर्मा) पर प्रशिक्षण
- संदेस(SANDES) ऐप/पोर्टल के उपयोग का उद्घाटन
- आईआरआई, बहादराबाद, उत्तराखंड में मनेरी भाली परियोजना का मॉडल अध्ययन
- पुनात्सांगछू-I और पुनात्सांगछू-II जल विद्युत परियोजना(एचईपी)
- प्रमुख सिंचाई परियोजना ताराली का निरीक्षण दौरा
- 28.02.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- जलाशय निगरानी
- इतिहास-शोलेयार जल विद्युत परियोजना

राजस्थान को नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से कम पानी मिलने के मुद्दे पर बैठक

राजस्थान को नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से कम पानी मिलने के मुद्दे के संबंध में राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों के जल संसाधन/सिंचाई विभाग और बीबीएमबी के अधिकारियों के साथ श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं पदेन सचिव, भारत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस/वर्चुअल मोड के माध्यम से 02.02.2023 को एक बैठक आयोजित की।

बैठक में के.ज.आ., हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और बीबीएमबी के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

- वर्तमान में नोहर फीडर और बरूवाली दोनों वितरिकाएँ जर्जर अवस्था में हैं इसलिए वे अपनी डिज़ाइन क्षमता तक निर्वहन नहीं कर सकती हैं। अत: इन नहरों के आवश्यक मरम्मत कार्य की आवश्यकता है।
- फ़तेहाबाद टेल एंड नहर का 5 किलोमीटर का हिस्सा जहां डिज़ाइन अनुभाग उपलब्ध नहीं है, संशोधन/मरम्मत की आवश्यकता है, दोनों राज्यों की सरकार उसकी सहमति देती है।

- हरियाणा और राजस्थान सरकार दोनों माह मार्च, 2023 के दौरान फतेहाबाद टेल एंड नहर की सामान्य मरम्मत और गाद निकालने के मुद्दे पर सहमत हुए।
- संरचनात्मक उपाय करके नोहर नहर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। के.ज.आ. इसके लिए सभी संभावित विकल्पों पर काम करेगी।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने हरियाणा तथा राजस्थान राज्य सरकार और बीबीएमबी से के.ज.आ. को आगे के अध्ययन के लिए आवश्यक फ़ील्ड डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया।

डब्ल्यूएआरआईएमएस पोर्टल के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति और मुद्दे

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा ने 03.02.2023 को के.ज.आ. (मुख्यालय) के सभी मुख्य अभियंताओं के साथ "वारीमस्पोर्टल के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति और मुद्दों" पर चर्चा करने के लिए बैठक की। बैठक के दौरान, के.ज.आ. के अध्यक्ष ने वारीम (WARIMS) पोर्टल के विकास के पीछे के दृष्टिकोण से अवगत कराया और इसे लागू करने में के.ज.आ. अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने के.ज.आ. और एनडब्ल्यूआईसी के बीच विभिन्न बाधाओं और समन्वय संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। अध्यक्ष ने के.ज.आ. (मुख्यालय) के सभी मुख्य अभियंताओं को इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने का निर्देश दिया।

राजस्थान राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं/मुद्दों की समीक्षा के लिए बैठकें

राजस्थान राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं/मुद्दों की समीक्षा के लिए फरवरी माह में कई बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की अध्यक्षता क्रमशः 3, 8 और 9 फरवरी 2023 को जलशक्ति मंत्री के सलाहकार, श्री श्रीराम वेदिरे सचिव (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) और माननीय जलशक्ति मंत्री ने की। बैठकों में जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ.,एनडब्ल्यूडीए और डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, नोहर फीडर नहर/ हरिके परियोजना, जवाई बांध परियोजना, गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना और इससे संबंधित मुद्दे, राजस्थान में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं के साथ-साथ माही नदी के पानी के बंटवारे संबंधी अंतरराज्यीय जल समझौते पर भी चर्चा की गई। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, के.ज.आ.द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं/मुद्दों पर संक्षिप्त स्थिति नोट प्रस्तुत किया गया था।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अधिकारियों के साथ बैठक

सदस्य (आरएम) ने 03.02.2023 को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बताया गया कि एडीबी गंगा बेसिन के स्थिरीकरण अध्ययन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस संबंध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) ने एक संक्षिप्त तकनीकी दस्तावेज तैयार किया है जिसमें रुचि के क्षेत्र, संभावित डिलिवरेबल्स, प्रमुख हितधारकों और इस अभ्यास के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्र का संकेत दिया गया, यह तकनीकी दस्तावेज़ एडीबी को उनके विचार जानने के लिए दिनांक 14.02.2023 को ई-मेल के माध्यम से भेजा गया और चर्चा किए गए विषय के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया।

भारतीय जल संसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक

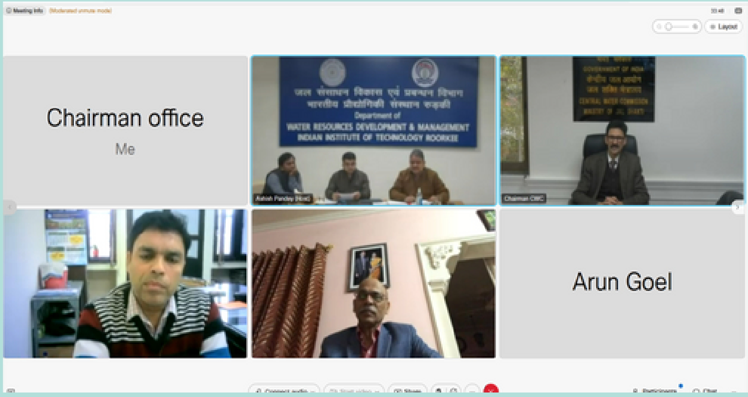

श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, आईडब्ल्यूआरएस, और अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 06.02.2023 को ऑनलाइन मोड में भारतीय जल संसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक आयोजित की गई थी। आईडब्ल्यूआरएस के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा ने स्वागत भाषण दिया और आईडब्ल्यूआरएस के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। इसके बाद प्रोफ़ेसर आशीष पांडे, कार्यकारी उपाध्यक्ष (मुख्यालय), आईडब्ल्यूआरएस, और प्रोफेसर एवं प्रमुख, डब्ल्यूआरडी एंड एम विभाग, आईआईटी रूड़की द्वारा औपचारिक संबोधन हुआ। बैठक के दौरान सोसायटी के कामकाज, समिति के संगठनात्मक ढांचे में संभावित बदलावों, कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए निकट भविष्य की योजनाओं, आईडब्ल्यूआरएस जर्नल में संशोधनों पर व्यापक चर्चा हुई और अध्यक्ष, आईडब्ल्यूआरएस द्वारा कई प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया ताकि इसे एजीएम के समक्ष रख कर आईडब्ल्यूआरएस का पुनर्गठन तत्काल लागू किया जा सके।

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (आईटीएसी) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी बैठक

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी) अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी)) में भारत की प्रतिनिधि राष्ट्रीय समिति है आईएनसीआईडी का नेतृत्व के.ज.आ के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी) 01-8 नवंबर 2023 के दौरान विशाखापत्तनम (विजाग), आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, के.ज.आ. और आईसीआईडी के साथ साझेदारी में 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) की 74वीं आईईसी बैठक का आयोजन कर रही है। आईसीआईडीआई अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य इस क्षेत्र में समसामयिक चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे विश्व में जल क्षेत्र के भीतर आने वाले और गतिशील परिवर्तनों पर चर्चा और मूल्यांकन करना है। उभरते वैश्विक रुझानों से विषयगत क्षेत्रों या प्रश्नों की पहचान की जाती है, जिन पर शोधपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, एक विशेष सत्र, संगोष्ठी और इतिहास संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है और वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस का विषय है "कृषि में पानी की कमी से निपटना"।

आईसीआईडी ने कांग्रेस के विषयगत, तकनीकी और संगठनात्मक पहलुओं की देखरेख के लिए 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (आईटीएसी) का गठन किया है। मेज़बान राष्ट्रीय समिति के पाँच प्रतिनिधियों को आईटीएसी में सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है जबकि आईसीआईडी के महासचिव, सदस्य सचिव हैं। आईटीए में 5 आईएनसीआईडी प्रतिनिधियों में अध्यक्ष, के.ज.आ, मुख्य अभियंता (ईएमओ), मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ समेत अन्य शामिल हैं। आईटीएसी की पहली बैठक 07.02.2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान, समिति ने नोट किया कि कांग्रेस के लिए विषयों, प्रश्नों और उप-प्रश्नों को विस्तृत विषय-क्षेत्र के साथ आईएनसीआईडी और आईसीआईडी द्वारा पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। समिति ने यह भी नोट किया कि 25वीं कांग्रेस की पहली घोषणा अक्टूबर 2022 में एडिलेड बैठक के दौरान आईएनसीआईडी द्वारा संचारित की गई थी। आईएनसीआईडी से मार्च, 2023 में 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के लिए दूसरी घोषणा प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था। आईटीएसी ने यह भी नोट किया कि 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के कॉल फ़ॉर पेपर्स को आईसीआईडी के योगदान प्रबंधन पोर्टल (सीएमपी) के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच परिचालित किया गया है। बैठक के दौरान आईसीआईडी ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और आईएनसीआईडी से अनुरोध किया प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ युवा पेशेवरों को प्रायोजित करने पर विचार करें इससे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए युवा पेशेवरों को बहुत मदद मिलेगी। श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष के.ज.आ/आईएनसीआईडी और उपाध्यक्ष आईसीआईडी ने युवा पेशेवरों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का समर्थन किया और कहा कि आईएनसीआईडी कुछ युवा पेशेवरों का समर्थन करने पर विचार कर सकता है।

केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)पुरस्कार-2022 के लिए आवेदन के मूल्यांकन हेतु बैठक

के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा ने जल संसाधन क्षेत्र में सीबीआईपी पुरस्कार-2022 के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए जूरी के प्रमुख के रूप में 09.02.2023 को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) के अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान श्री ए.के.बजाज पूर्व अध्यक्ष (के.ज.आ), व जूरी सदस्य भी उपस्थित थे। अतीत से ही सीबीआईपी देश में जल संसाधन, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में संगठनों/संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए पुरस्कार देती रही है। वर्ष 2022 के लिए सीबीआईपी पुरस्कार आगामी सीबीआईपी दिवस यानी 03.03.2023 को प्रदान किए जाने वाले हैं। श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ, सीबीआईपी में भी उपाध्यक्ष हैं।

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1976 में मप्र, बिहार और उप्र सरकार के परामर्श से की गई थी, ताकि नहर प्रणालियों को छोड़कर, मध्य प्रदेश में सभी जुड़े कार्यों सहित बाणसागर बांध का कुशल, किफायती और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। नियंत्रण बोर्ड तकनीकी और वित्तीय पहलुओं सहित संपूर्ण परियोजना का प्रभारी है। अध्यक्ष, के.ज.आ बाणसागर नियंत्रण बोर्ड (बीसीबी) की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन सचिव और बाणसागर नियंत्रण बोर्ड (बीसीबी) की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ने 13.02.2023 को बीसीबी की कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक की अध्यक्षता की। सदस्य (डब्ल्यूपी&पी),के.ज.आ, मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), निदेशक (सीबी एंड पी एंड एम) और लाभार्थी राज्यों यानी एमपी, बिहार और यूपी के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान, बाणसागर जलाशय को भरने और उपयोग के

नियमन के लिए दिशानिर्देशों, बीसीबी में पदों को भरने, बाणसागर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र के उपचार के लिए जलविभाजन प्रबंधन योजना, लाभार्थी राज्यों द्वारा धन के योगदान की स्थिति और पानी के हिस्से को जारी करने से संबंधित कार्यसूची सामग्री पर चर्चा की गई।

बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के विकास के लिए आईआईटी रूड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) ने बाह्य रूप से वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II और चरण-III के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के विकास हेतु 14.02.2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओए) किया। यह समझौता ज्ञापन ड्रिप चरण- II और चरण- III की अवधि अथवा लगभग दस वर्षों अर्थात योजना हस्ताक्षर करने की तिथि से, जो भी पहले हो तब तक वैध रहेगा। आईसीईडी की स्थापना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के प्रमुख लक्ष्यों में से एक थी।

आईसीईडी, जांच में विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करने, मॉडलिंग, अनुसंधान व नवीनीकरण, और भारतीय और विदेशी बांध मालिकों को तकनीकी सहायता सेवाएँ प्रदान करने में केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। यह

केंद्र सहमत बांध सुरक्षा क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीनतम तकनीकी नवाचारों के माध्यम से बांध सुरक्षा के सामने आने वाली विभिन्न उभरती चुनौतियों का सामना करने और समाधान प्रदान करने के लिए काम करेगा। यह बांध सुरक्षा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक शोध, शिक्षा और अन्य कार्य भी करेगा। केंद्र वर्तमान में दो

प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:(ए) जलाशय अवसादन और (बी) प्रारंभिक वर्षों में भूकंपीय खतरा मानचित्रण और विश्लेषण। निकट भविष्य में बांध सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से आवश्यकता उत्पन्न होने पर नए क्षेत्र जोड़े जाएंगे। लंबे समय में, केंद्र का लक्ष्य बांधों के संपूर्ण जीवन चक्र से निपटना होगा।

आईसीईडी की स्थापना 109 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है, जिसका खर्च नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सामान, मशीनरी की खरीद के साथ-साथ मौजूदा प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत, आईआईटी रूड़की द्वारा आईसीईडी की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए छह किश्तों में गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार उठाएगा।

आय स्रोत उत्पन्न करके दस(10) वर्षों के भीतर विकसित ज्ञान और क्षमताओं के माध्यम से बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास सामान्य, और विशेष रूप से जलाशय अवसादन और भूकंपीय खतरे के मानचित्रण और विश्लेषण के मुख्य क्षेत्रों में आईआईटीआर आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करेगा। इसके अलावा,आईसीईडी रूड़की के पास केंद्र विकास निधि होगी, परामर्श शुल्क, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और किसी भी अन्य राजस्व अर्जन गतिविधि जैसे स्रोतों से प्राप्त धन, इस निधि में योगदान करेगा।

जल निकायों में चल सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए पट्टा शुल्क की नीति के संबंध में हितधारकों के परामर्श के लिए बैठक

के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा ने जल निकायों में चल सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए पट्टे के शुल्क की नीति के संबंध में हितधारकों के परामर्श के लिए 14.02.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक ली। बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सदस्य (हाइड्रो), सीईए के साथ सीईए, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 22 राज्यों के राज्य जल संसाधन व ऊर्जा विभागों तथा 9 सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

इस संबंध में राज्य सरकार और अन्य बांध स्वामित्व वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों के विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह ध्यान दिया गया कि अधिकांश सीपीएसयू ने नाममात्र के निश्चित पट्टे के शुल्क का प्रस्ताव दिया है, जबकि राज्य सरकारों ने इसे परियोजना की पूंजी लागत के प्रतिशत या बिजली उत्पादन के आधार पर वार्षिक पट्टे के शुल्क के रूप में प्रस्तावित किया है। चर्चा का समापन करते हुए अध्यक्ष, के.ज.आ ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रस्तावों के पीछे के तर्कों का विधिवत संकेत देते हुए एक सप्ताह के भीतर ईमेल के माध्यम से अपने विचार संप्रेषित करें। इसके बाद इस संबंध में नीति निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

ओखला तक यमुना जल में यूपी की पूर्ववर्ती हिस्सेदारी के वास्तविक आवंटन के मुद्दे पर समिति की पहली बैठक

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार तत्कालीन उत्तर प्रदेश की ओखला तक यमुना जल में हिस्सेदारी के पुनर्वितरण के मुद्दे पर के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा की अध्यक्षता में15.02.2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ, आयुक्त (एफएम), डीओडब्ल्यूआर, मुख्य अभियंता (आईएमओ) एवं (एचएसओ), के.ज.आ तथा उत्तराखंड व यूपी के अधिकारियों ने भाग लिया। दोनों राज्यों पर इस बात का दबाव डाला गया कि संविधान के आदेशों के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है। समिति के सदस्यों का नाम और पदनाम दोनों राज्यों द्वारा पांच दिनों के भीतर सदस्य सचिव (एमएस) यूवाईआरबी को भेजा जाना चाहिए। दोनों राज्यों को मासिक आधार पर अपने संबंधित हाइड्रोलिक संरचनाओं से उपयोगिता डेटा और इन दोनों राज्यों के यमुना बेसिन में आने वाले जिलों की जनगणना 2011 की जनसंख्या के आंकड़े अगले 15 दिनों के भीतर सदस्य सचिव, यूवाईआरबी को जमा करने का निर्देश दिया गया। समिति की अगली बैठक दोनों राज्यों द्वारा पूर्ण रूप में डेटा प्रस्तुत किए जाने के बाद आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

द्वितीय रावी ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर की प्रगति पर चर्चा

दिसंबर, 2022 में सदस्य (डब्ल्यूपी&पी), के.ज.आ की पिछली यात्रा के दौरान चर्चा किए गए विभिन्न विकल्पों पर द्वितीय रावी-ब्यास लिंक परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर)की प्रगति पर चर्चा के लिए श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में 20.02.2023 को बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार (जीओपी), केंद्रीय जल आयोग और अन्य संबंधित संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे सड़क पुल के मुद्दे के साथ-साथ विभिन्न विकल्प भी शामिल थे।
बैठक के दौरान, के.ज.आ के अध्यक्ष ने जल संसाधन विभाग, पंजाब

सरकार के अधिकारियों को पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट को संशोधित करने और तदनुसार बैठक में विस्तार से चर्चा के अनुसार 5 विभिन्न विकल्पों के साथ एक ड्राफ्ट पीएफआर तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सीई (आईबीओ), के.ज.आ को प्रगति की निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया था।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के डिज़ाइन पहलुओं की समीक्षा के लिए 25वीं बैठक

दिनांक 22.02.2023 को श्री एस.के. सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ ने आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना के डिजाइन मुद्दों पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) इकाई, केंद्रीय जल आयोग, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) के अधिकारी और एनएचपीसीएल लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित थे। पीपीए ने साइट पर कार्यों की प्रगति पर एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। इसके अलावा, परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए टूटी हुई नींव में रेत भरने की पद्धति, गैप-II डायाफ्राम दीवार के स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए भूभौतिकीय अध्ययन यू/एस कॉफ़र बांध से रिसाव तथा निर्जलीकरण व्यवस्था व उपागम वाहिका अभिन्यास के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

जल संसाधन विभाग-09 की 21वीं बैठक

मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (ई एंड एनई) की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग-09 की 21वीं बैठक 23.02.2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में सीएमडीडी (ई एंड एनई), सीएमडीडी (एन एंड डब्ल्यू), सीएमडीडी (एनडब्ल्यू एंड एस), तटबंध (ई एंड एनई) के अधिकारियों ने भी भाग लिया। उत्प्लाव मार्ग और बहिर्गम संरचनाओं के लिए वातन की मांग, कंक्रीट से बने प्रस्तरपूर बांध के डिजाइन और निर्माण आदि से संबंधित कार्यसूची सामग्री पर चर्चा की गई।

वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति की 56वीं बैठक

बैठक की तिथि	**09.02.2023**
कुल मामलों पर विचार किया गया	20
वाणिज्यिक मामले	04
गैर वाणिज्यिक	16
समिति द्वारा अनुमोदित मामलों की संख्या	12
स्थगित मामलों की संख्या	07
नोट: इस मामले पर सहमति मांगने के लिए 1 मामला विदेश मंत्रालय को भेजा गया था।	

"पृथ्वी, वायु, भूमि और जल हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं बल्कि हमारे बच्चों से उधार मिले हैं। इसलिए, हमें उन्हें कम से कम वैसे ही सौंपना होगा जैसे यह हमें सौंपा गया था।"

– महात्मा गांधी

विश्व बैंक द्वारा डीआरआईपी-2 कार्यान्वयन रणनीति कार्यशाला

विश्व बैंक द्वारा 8-9 फरवरी 2023 के दौरान दो (2) दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें नई एजेंसियों के परियोजना में शामिल होने पर (सहमति मानदंड के आधार पर) आईए के भीतर फ्लेक्सी फंड पुनः आवंटन की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान पीएसटी की प्रगति, निविदाओं और व्यय की भी समीक्षा की गई। कार्यशाला में सीपीएमयू और डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

एससीओ सदस्य राज्यों के लिए बाढ़ पर ज्ञान साझा करने हेतु संरचित कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के साझेदार राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करने के लिए 24.02.2023 को बाढ़ पर एक संरचित कार्यशाला का आयोजन किया। बाढ़ पर कार्यशाला में, भारत ने बाढ़ प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत व्यवस्था, मूल्यांकन, निगरानी, क्षमता निर्माण और प्रभावी पूर्वानुमान तंत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया। श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए ने कार्यशाला का उद्घाटन किया, श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्र जल आयोग और श्री कुणाल सत्यार्थी, जेएस, एनडीएमए ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें आठ सदस्य शामिल हैं-चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो आपातकालीन प्रबंधन सहित क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है और वे विश्व की जीडीपी में 30% का योगदान करते हैं। भारत 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता संभाल रहा है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और भारत ने 2017 में सदस्य राज्य बनने से पहले 2005 में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में इसके साथ अपना सहयोग शुरू किया था। शंघाई सहयोग संगठन के मुख्य लक्ष्य हैं सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना; राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।

इस क्षेत्र के लिए जल-जलवायु संबंधी खतरा बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूजल की कमी, हिमनदों के विस्फोट और पर्माफ्रॉस्ट पिघलना के

माध्यम से प्रकट होता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र हो रहे हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान भारी वर्षा बढ़ गई है और सर्दियों में बर्फबारी कम हो गई है। अनुमान है कि 2050 तक मध्य एशिया में 2.5 मिलियन लोग पानी की कमी के कारण पलायन कर जायेंगे। यह क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने के लिए समान जलवायु परिस्थितियों का सामना करने वाले देशों के बीच सहयोग का आह्वान करता है।

कार्यशाला निम्नलिखित तीन विषयों पर केंद्रित थी:-
बाढ़ प्रबंधन हेतु कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था,
बाढ़ प्रबंधन में क्षमता निर्माण और हितधारक की भागीदारी,
बाढ़ प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान की भूमिका।

इस कार्यशाला ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य राज्यों को बाढ़ आपदाओं को कम करने में सदस्य राज्यों की शक्तियों और चुनौतियों के बारे में बेहतर समझ प्रदान करने के साथ-साथ क्षेत्र में बाढ़ से बचने, उसे कम करने और उसके अनुकूल बनने के लिए प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान की। यह बेहतर व शीघ्र, सटीक पूर्वानुमान और वैज्ञानिक तरीके से भूमि उपयोग योजना, बाढ़ प्रबंधन की दिशा में संभावित समाधानों में से एक साबित हुआ।

बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग/एप्लीकेशन(धर्मा) पर प्रशिक्षण

डीआरआईपी-2 के तहत क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, सीपीएमयू वर्चुअल मोड में धर्मा पोर्टल पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। डीआरआईपी-2 की कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए धर्मा पोर्टल पर तीसरा प्रशिक्षण 28.02.2023 को आयोजित किया गया था।प्रशिक्षण में एसडीएसओ के अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के बांध प्रबंधकों ने भाग लिया।

संदेस(SANDES) ऐप/पोर्टल का उपयोग हेतु उद्घाटन

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा ने 20 फरवरी 2023 को के.ज.आ में संदेस ऐप/पोर्टल का उपयोग हेतु उद्घाटन किया। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने कार्यक्रम में भौतिक/आभासी रूप से भाग लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि सभी के.ज.आ कर्मचारी धीरे-धीरे अन्य ऐप से सन्देस ऐप पर स्थानांतरित हो सकते हैं क्योंकि यह सरकारी विभागों और सरकार से जुड़े लोगों के लिए त्वरित संदेश हेतु एक ओपन सोर्स संचालित, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम और स्वदेशी मंच है। उन्होंने यह भी बताया कि इस ऐप का उपयोग आधिकारिक समूह के लिए तुरंत किया जा सकता है।

के ज आ अधिकारी द्वारा दौरा, परियोजनाओ/स्थलों का निरीक्षण

सिंचाई अनुसंधान संस्थान (आईआरआई),भद्राबाद, उत्तराखंड में मनेरी भाली परियोजना का मॉडल अध्ययन

सिंचाई अनुसंधान संस्थान, भद्राबाद, रूड़की, यूपी में मनेरी बांध की ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था के हाइड्रोलिक मॉडल के किए जा रहे अध्ययन को देखने के लिए 25.02.2023 को श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डीएसओ और परियोजना निदेशक, डीआरआईपी-II और III, के.ज.आ के नेतृत्व में श्री एस.एस. बख्शी,निदेशक, के.ज.आ और श्री समीर कुमार शुक्ला, निदेशक, के.ज.आ की एक टीम ने दौरा किया। यूजेवीएनएल से, श्री सुरेशचंद्र बलूनी, निदेशक परियोजना, श्री सुनील कुमार जोशी, महाप्रबंधक, श्री एस.के.सिंह, उप-महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारी और सिंचाई अनुसंधान संस्थान(आईआरआई),भदराबाद से श्री आर.सी.गुप्ता,अधीक्षण अभियंता, श्री आर.पी.कुरियाल, अधिशासी अभियंता आदि उपस्थित थे। इस दौरे का उद्देश्य विभिन्न निर्वहन के लिए मॉडल व्यवहार और

प्रवाह स्थितियों को देखना तथा मनेरी बांध के अनुप्रवाह में ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था व सहायक कार्य के निर्माण हेतु संभावित विकल्पों का आकलन करना था।

पुनात्सांगछू-I और पुनात्सांगछू-II जल विद्युत परियोजना(एचईपी)

डिज़ाइन (ई एंड एनई) के के.ज.आ अधिकारियों ने 08.02.2023 से 11.02.2023 तक पुनात्सांगछू-I और पुनात्सांगछू-II एचईपी का दौरा किया। पुनात्सांगछू-II के बांध एवं विद्युतघर और पुनात्सांगछू-I के विद्युतघर से संबंधित कई मुद्दों को संबोधित किया गया। अधिकारियों ने 09.02.2023 को पीएचपीए-II कार्यालय में आयोजित पुनात्सांगछू-II की तकनीकी समूह बैठक में भी भाग लिया।

वृहत सिंचाई परियोजना तराली का निरीक्षण दौरा

तराली, वृहत सिंचाई परियोजना को वर्ष 2007-08 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (अब, पीएमकेएसवाई के तहत शामिल) में शामिल किया गया था ताकि परियोजना को शीघ्र पूरा करने की सुविधा हेतु राज्य संसाधनों की पूर्ति के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के कराड, पाटन, सतारा, खटाव और मान तालुका में सिंचाई प्रदान करना।

इस परियोजना को 2007-08 में 363.27 करोड़ रुपये की लागत और 19498 हेक्टेयर (14276 हेक्टेयर आईसीए) की अंतिम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) के लिए एआईबीपी में शामिल किया गया था। के.ज.आ ने एआईबीपी के लिए 943.26 करोड़ रुपये के संशोधित

लागत अनुमान को "फास्टट्रैक प्रोफार्मा क्लीयरेंस" प्रदान किया। इस परियोजना को 2017-18 में 53.63 करोड़ रुपये में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन(सीएडीडब्ल्यूएम) में शामिल किया गया था। इस परियोजना ने अब तक 17165 हेक्टेयर यूआईपी और 6988 हेक्टेयर आईसीए की सिंचाई क्षमता सृजित की है और पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत क्रमश: 890.83 करोड़ रुपये और 34.26 करोड़ रुपये का व्यय किया है। परियोजना को एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत क्रमश: 321.20 करोड़ रुपये और 4.25 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी प्राप्त हुई है।

परियोजना की निगरानी के.ज.आ , नागपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के तहत निगरानी एवं मूल्यांकन निदेशालय, पुणे द्वारा की जा रही है। श्री आशीष कुमार सिंघल, उपनिदेशक ने परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए 01.02.2023 को परियोजना का दौरा किया।

अन्य गतिविधियाँ

28.02.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-23	व्यय	व्यय (% में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	140.130	135.6291	96.40%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	11.640	11.0448	94.89%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	11.3625	8.4330	74.22%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	8.56	7.867	91.90%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.7086	12.6829	39.825%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	25.00	23	92.00%

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 18 जलाशय जलविद्युत परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 34.960 बीसीएम है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 23.02.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 96.592बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 54% है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 102.517 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 81.642 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 23.02.2023 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 94% प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 118 प्रतिशत है।

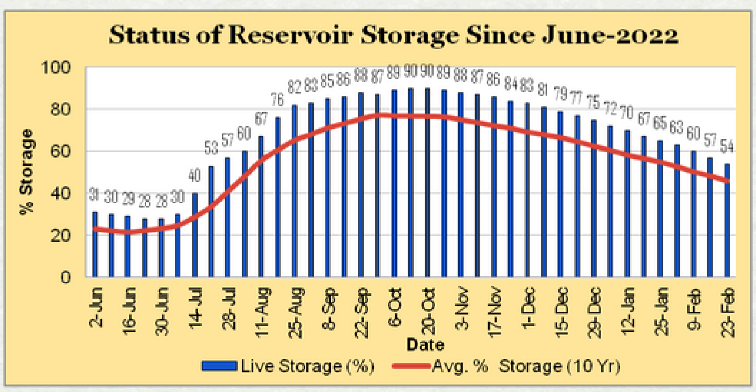

राज्यवार भंडारण स्थिति का मानचित्र

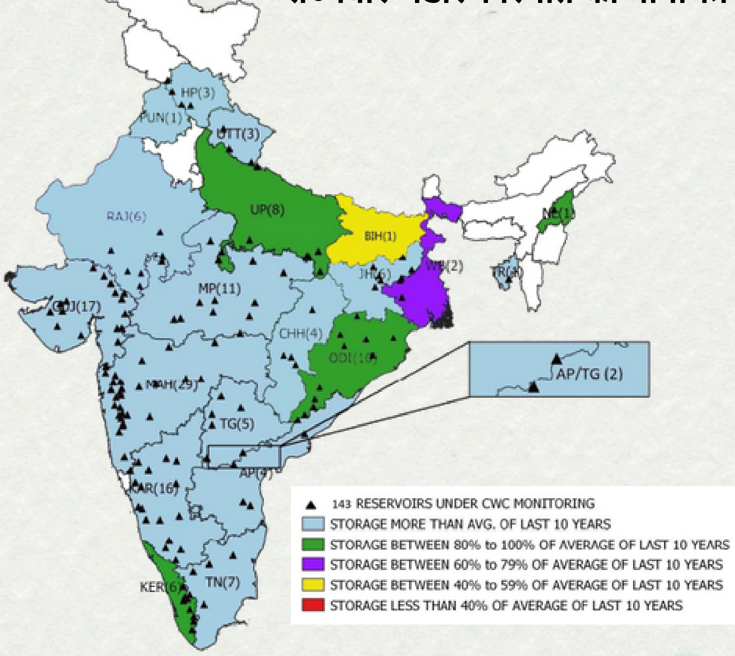

उदयपुर, राजस्थान में "आकर्षक राजस्थान" प्रदर्शनी 23.02.2023 से 25.02.2023 तक। के.ज.आ ने जल संसाधन और संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्टाल का पुरस्कार जीता, जिसे उदयपुर के संसद सदस्य श्री अर्जुनलाल मीना ने प्रस्तुत किया।

पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम की निगरानी के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए कर्नाटक राज्य जल संसाधन विभाग/कमान क्षेत्र विकास के अधिकारियों के साथ श्री वीरेंद्र शर्मा, मुख्य अभियंता, निगरानी (दक्षिण), के.ज.आ, बेंगलुरु की अध्यक्षता में बैठक हुई।

मयूरभंज, ओडिशा में एम एंड ईआरओ, के.ज.आ द्वारा 14.02.2023 से 09.04.2023 के दौरान विभिन्न नदियों पर नदी उत्सव आयोजित किया गया।

टी एंड बीडीबीओ, के.ज.आ , कोलकाता के अंतर्गत श्री अजय कुमार, एआरओ, भागीरथी दामोदर जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, बेलडांगा द्वारा 'जल गुणवत्ता और तलछट विश्लेषण' पर 6-7 फरवरी, 2023 के दौरान एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम, तेजपुर, असम में भूटान की शाही सरकार के प्रशिक्षुओं को व्याख्यान दिया गया।

श्री निखिल जेफ डीडी, के.ज.आ नई दिल्ली, श्री रामेंद्र विक्रम सिंह, एडी, के.ज.आ द्वारा आई एंड डब्ल्यूआरडी, यूपी के अधिकारियों के साथ 02 और 03.02.2023 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरयू नगर परियोजना चरण-III की निगरानी यात्रा की गई।

लोकसभा में माननीय सांसद-पुडुचेरी, श्री वे वैथिलिंगम द्वारा उठाए गए मामले के अनुसार "केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में सतत जल प्रबंधन के लिए डीपीआर की तैयारी" के लिए के.ज.आ, सीएसआरओ और पुडुचेरी-पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एक टीम का गठन किया गया था।

जल क्षेत्र समाचार

- तीन साल में 7.81 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन (अमर उजाला, 03.02.2023)
- सूरज और हवा से मिलने वाली बिजली को 8 बांधों के पानी में करेंगे स्टोरेज (राजस्थान पत्रिका, 05.02.2023)
- नमामि गंगे : मुख्य उद्देश्य गंगा के पानी को स्नान के लिए उपयुक्त बनाना (पंजाब केसरी, 07.02.2023)
- नवाचार : पानी की हर बूंद की कीमत, अब ऐप से मानिटरिंग — अमृत बचाने सेंसर का सहारा (राजस्थान पत्रिका, 09.02.2023)
- हिमालय से निकलने वाली 16 व मैदानी 26 नदियों को जोड़ा जाएगा : पटेल (दैनिक जागरण, 13.02.2023)
- केंद्रीय जल आयोग का आईआईटी से समझौता (हिन्दुस्तान, 17.02.2023)
- चिंबल और पोंडा तालुक के उसगांव ग्रामसभा — महादायी नदी बचाने लिए सर्वसम्मति से लिया निर्णय (राजस्थान पत्रिका, 21.02.2023)
- ईआरसीपी पर रोक के लिए एमपी सरकार की याचिका (राजस्थान पत्रिका, 24.02.2023)
- लगातार सूख रही यमुना, होली से पहले पानी की किल्लत का खतरा (नवभारत टाईम्स, 27.02.2023)
- 186 गांवों के किसानों का जालोर में पड़ाव, जवाई बांध से मांगा पानी (राजस्थान पत्रिका, 28.02.2023)

इतिहास-शोलेयार जल विद्युत परियोजना

शोलायर नदी चलाकुडी नदी की सहायक नदियों में से एक है जो केरल के त्रिचूर जिले से होकर बहती है।

चलाकुडी बेसिन में बिजली विकास की संभावनाओं की जांच सबसे पहले 1920 के दशक में की गई थी। प्रस्तावों पर, तत्कालीन मैसूर राज्य के श्री एस.जी. फोर्ब्स और सर हेनरी हॉवर्ड सहित कई प्रतिष्ठित इंजीनियरों से परामर्श किया गया। इसके जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 183 मीटर की ऊंचाई से जलपात करके पोरिंगलकुथु बाईं तटबंध योजना अंततः विकसित की गई। वर्तमान पोरिंगलकुथु बिजलीघर बाएं किनारे पर था, कमोबेश बेसिन के केंद्र में। यह योजना दो चरणों में पूरी हो चुकी है और इसकी स्थापित क्षमता 32,000 किलोवाट है, हालाँकि 1962 में फर्म का उत्पादन केवल 8,000 किलोवाट था।

शोलायार नदी से बिजली का विकास कुछ समय से केरल के इंजीनियरों का ध्यान आकर्षित कर रहा था यहाँ तक की शुरू से ही शोलायार नदी के पानी को अनाकायम घाटी में मोड़ने और अंततः पोरिंगलकुथु बाईं तटबंध योजना हेतु जल निर्वहन का उपयोग करने का सबसे व्यवहार्य और किफायती तरीका तय कर लिया गया था। जब शोलेयार परियोजना पूरी हो गई, तो पोरिंगलकुथु में 100 प्रतिशत भार गुणक(लोड फैक्टर) पर 15,200 किलोवाट की अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करने के लिए पोरिंगलकुथु बाएँ तटबंध जलाशय की जल आपूर्ति 10.7 घन मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी गई, जिससे लेफ्टबैंक स्टेशन का निश्चित उत्पादन 23,200 किलोवाट तक बढ़ गया।

शोलेयार और पोरिंगलकुथु स्टेशनों का पुच्छजल निचली पहुंच में चलाकुडी सिंचाई योजना के चलाकुडी बांध में सिंचाई हेतु जल आपूर्ति को विनियमित करने में मदद करता है।

नदी

शोलायार नदी चलाकुडी नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। पश्चिमी घाट की अनामलाई श्रृंखला से निकलकर, शोलायार नदी तमिलनाडु और केरल से होकर बहती है और काहलाकुडी नदी की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी परम्बिकुलम आर में मिलती है।

संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला है। शोलेयार बांध स्थल के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र 186 वर्ग किमी (72 वर्ग मील) है, जिसमें से 122 वर्ग किमी (47 वर्ग मील) तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित है।

अंतरराज्यीय समझौता

केरल राज्य में शोलेयार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में निष्पादन के लिए मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, परियोजना पर काम तुरंत शुरू नहीं हो सका, क्योंकि तत्कालीन मद्रास ने अपने क्षेत्र में स्थित शोलेयार जलग्रहण क्षेत्र के हिस्से के पानी पर दावा किया था। तमिलनाडु ने परम्बिकुलम के पानी पर भी दावा किया था, और राज्य ने परम्बिकुलम पर एक बांध बनाने तथा बिजली उत्पादन एवं सिंचाई के लिए पश्चिम की ओर बहने वाले पानी को पूर्व की ओर मोड़ने की योजना बनाई थी।

तमिलनाडु को केरल क्षेत्र पर परम्बिकुलम बांध के निर्माण के लिए केरल के सहयोग की आवश्यकता थी, जबकि केरल अपने शोलेयार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आंशिक रूप से मद्रास पर निर्भर था। यह एक अंतर-राज्यीय मुद्दा होने के कारण, मद्रास और केरल सरकार के मंत्रियों के बीच त्रिवेन्द्रम, मद्रास, ऊटी और दिल्ली में केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (अब केंद्रीय जल आयोग) के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं।

काफी चर्चा के बाद, भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा केरल और तत्कालीन मद्रास सरकार के बीच आगे की बातचीत शुरू की गई, और ये जुलाई,1960 में परम्बिकुलम आर और शोलायार नदी के पानी को साझा करने के लिए एक समझौते के प्रारूपण के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

शोलियार परियोजना, मद्रास

केरल राज्य में प्रवेश करने से ठीक पहले शोलायार नदी पर शोलियार बांध और पावर हाउस का निर्माण किया गया, जो तमिलनाडु सरकार द्वारा परिकल्पित परम्बिकुलम अलियार परियोजना का हिस्सा है।

शोलेयार परियोजना - केरल विशेषताएं एक नज़र में			
जलग्रहण क्षेत्र		..	186 वर्ग किमी (72 वर्ग मील)
औसत वर्षा..		..	320 सेमी (126 इंच)
वार्षिक उपज		..	340 मिलियन घन मीटर (12,000 मिलियन घन फीट)
बाँध			
	प्रकार	..	चिनाई, गुरुत्वाकर्षण
	लंबाई	..	396 मीटर (1,300 फीट)
	नदी तल से ऊँचाई	..	58 मीटर (189 फीट)
	चिनाई की मात्रा	..	0.269 मिलियन घन मीटर (9.5 मिलियन घन फुट)
जलाशय			
	भंडारण क्षमता	..	150 मिलियन घन मीटर (3,500 मिलियन घन फुट)
फ्लैंकिंग बांध			
	नदी तल से ऊँचाई	..	18.3 मीटर (60 फीट)
	शीर्ष पर लंबाई	..	264 मीटर (865 फीट)
	चिनाई की मात्रा	..	0.035 मिलियन घन मीटर (1.25 मिलियन घन फुट)
	स्पिलवे की लंबाई (कुल मिलाकर)	..	68.4 मीटर (224 फीट)
सुरंग:			
	लंबाई	..	738 मीटर (2,422 फीट)
	क्षेत्र	..	7.9 वर्ग मीटर (85 वर्ग फुट)
बिजली संयंत्र:		..	18,000 किलोवाट की तीन इकाइयाँ
विद्युत उत्पादन		..	60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 44,300 किलोवाट
लागत		..	रु. 432 लाख

इसका उद्देश्य तमिलनाडु क्षेत्र में शोलेयार के पानी को रोकना और अंततः इसे बिजली उत्पादन के लिए 3.2 किमी (दो मील) लंबी सुरंग के माध्यम से परम्बिकुलम घाटी की ओर मोड़ना था।

अंतर-राज्य समझौते के अनुसार, पेरियार में भंडारण जलाशय तैयार होने के बाद, इस नदी का पानी पूरी तरह से तमिलनाडु की ओर मोड़ दिया गया। केरल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और शोलियार बांध में उपलब्ध निरार जल और अधिशेष को विनियमित करने के लिए, 153 मिलियन घन मीटर की सकल जलाशय क्षमता प्रदान की गई थी।

विशेषताएँ

परियोजना में अनिवार्य रूप से 1,290 मीटर लंबा एक मिट्टी सह चिनाई बांध शामिल है, जो सबसे गहरे तल स्तर से 88 मीटर ऊपर है। बांध में लगभग 153 मिलियन घन मीटर पानी है।

निरार के पानी को निरार के पार एक अतिरिक्त मेड़ और 3.5 किमी लंबी सुरंग द्वारा शोलियार घाटी में मोड़ दिया गया। यह 45 घन मीटर प्रति सेकंड क्षमता वाली सुरंग अधिकांश डिस्चार्ज को शोलियार जलाशय में मोड़ देती है, जिससे बांध पर 12.7 मिलियन घन मीटर पानी अधिशेष हो जाता है।

जलाशय से पानी 21 घन मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम क्षमता वाली दो मील की सुरंग से होकर 1,524 मीटर लंबाई और लगभग 2 मीटर औसत व्यास के दो पेनस्टॉक्स के माध्यम से परम्बिकुलम घाटी में गिरता था।

बिजलीघर

बिजलीघर परम्बिकुलम घाटी में स्थित है, जहां बिजली विकास के लिए उपलब्ध हेड 396 मीटर है। इस बिजलीघर में निरंतर स्थिर बिजली उत्पादन 32,500 किलोवाट है, और प्रत्येक 35,000 किलोवाट की स्थापित क्षमता वाली दो इकाइयों से 60 प्रतिशत भार गुणक पर लगभग 69,700 किलोवाट की अधिकतम बिजली विकसित की गई है। मौजूदा तमिलनाडु ग्रिड तक ट्रांसमिशन के लिए उत्पन्न बिजली 110kV तक पहुंच गई है।

निष्कर्ष

सामान्य नदी संसाधन के उपयोग हेतु अंतर-राज्य मुद्दे के परिणाम से मद्रास और केरल दोनों के पास खुश होने वजह है। अब केरल के लिए शोलियार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ना संभव है, और तमिलनाडु के लिए अपनी परियोजना के साथ, दोनों का उद्देश्य बिजली उत्पादन और अतिरिक्त खाद्य उत्पादन के मामले में बड़े लाभ लाना है।

शोलियार परियोजना - तमिलनाडु विशेषताएं एक नज़र में			
जलग्रहण क्षेत्र		..	122 वर्ग किमी (47 वर्ग मील)
औसत वर्षा		..	347 सेमी (137 इंच)
बाँध			
	लंबाई - चिनाई मृदा	.. ..	655 मीटर (2,150 फीट) 635 मीटर (2,082 फीट)
	कुल	..	1,290 मीटर (4,232 फीट)
	ऊँचाई - चिनाई मृदा	.. ..	88 मीटर (289 फीट) 20 मीटर (64 फीट)
	मात्रा - चिनाई मृदा	..	0.52 मिलियन घन मीटर (18.3 मिलियन घन फीट) 0.47 मिलियन घन मीटर (17.0 मिलियन घन फीट)
बिजली संयंत्र			
	स्थापित क्षमता	..	35,000 किलोवाट की दो इकाइयाँ
निर्गत/आउटपुट		..	60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 69,700 किलोवाट

(स्रोत: भागीरथ जनवरी 1962)

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.)– सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in